



कार्यालय अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.) 480001

(An Institute Under Government of Madhya Pradesh)

Email: deanmedicalcollegehindwara@gmail.com

दूरभाष - 07162-297009



क्रमांक/स्था/राज/सिम्स/2026/448

छिन्दवाड़ा दिनांक:- 06/04/2026

// सूचना //

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल का पत्र क्रमांक 295/स्था/राज/संचिशि/2026 भोपाल दिनांक 03/04/2026 के परिपालन में संस्था द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 3568, दिनांक 27/03/2025 एवं विज्ञापन क्रमांक 7739, दिनांक 26/06/2025 की आगामी कार्यवाही को संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के आगामी आदेश होने तक स्थगित किया जाता है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,

छिन्दवाड़ा म.प्र.

छिन्दवाड़ा, दिनांक:- 06/04/2026

पृ.क्र./स्था/राज/सिम्स/2026/4547-49

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत निरामयम भोपाल म0प्र0 एवं अध्यक्ष स्वशासी कार्यकारिणी समिति सिम्स की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संस्था की वेबसाईट।

अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,

छिन्दवाड़ा म.प्र.

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

क्रमांक 295/स्था/राज/सं.चि.शि./ 2026

भोपाल दिनांक 03/04/2026

प्रति,

अधिकाता

चिकित्सा महाविद्यालय,

भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, विदिशा, रतलाम, खंडवा,
दतिया, शहडोल, शिवपुरी एवं छिन्दवाड़ा ।

विषय: चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सह - प्राध्यापक के पदोन्नति एवं
सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में।

सन्दर्भ: संचालनालय चिकित्सा शिक्षा का पत्र क्रमांक 1803/स्था/राज/सं.चि.शि./
2025 भोपाल दिनांक 10/12/2025

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 (शैक्षणिक
संवर्ग) के प्रावधानों के अंतर्गत प्राध्यापक एवं सहप्राध्यापक के रिक्त पदों पर कार्यवाही
पूर्वानुसार प्रारंभ करने के निर्देश प्रसारित किये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ
ग्वालियर द्वारा इट्यू.पी. नंबर 7729/2026 में दिये गये आदेश के अनुक्रम में नियमों का
परीक्षण किया जा रहा है। अतः उक्त कार्यवाही को आगामी आदेश तक स्थगित रखा जाये।
(आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Aruna Kumar
Date: 03-04-2026
14:34:11

संचालक, चिकित्सा शिक्षा
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

क्रमांक 296/स्था/राज/सं.चि.शि./ 2026

भोपाल दिनांक 03/04/2026

प्रतिनिधि:

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।

संचालक, चिकित्सा शिक्षा
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश